रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2001/पौष 12, 1922
No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2001/PAUSA 12, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2001

सं. 51(आर ई-2000)/1997—2002

फा.सं. 01/91/180/957/एएम 01/पीसी-3.—"निर्यात तथा आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 1997—2002" नामक पुस्तक में अनुसूची 2 के परिशिष्ट 1 की क्रम सं. 6 तथा अनुसूची 2 तालिका-ख की कोड सं. 5205 पर प्रविष्टि की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निर्यात मदों के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

2. निर्यात तथा आयात नीति 1997-2002(31 मार्च, 2000 तक के संशोधनों सहित) के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2001 के दौरान कॉटन यार्न के निर्यात पर निम्न अनुसार मात्रात्मक सीमा एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं-

(i) 1-40 गुच्छियों वाले कॉटन यार्न हेतु 500 मिलियन किग्रा. की सीमा

(ii) 1-60 गुच्छियों वाले हैंक कॉटन यार्न हेतु 20 मिलियन किग्रा. की सीमा

(iii) तथापि, निम्नलिखित श्रेणियाँ मात्रात्मक सीमा से मुक्त होंगी:-

क. 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों द्वारा निर्यात। तथापि, ऐसी यूनिटों द्वारा निर्यात, जिन पर गुच्छियों की सीमा लागू होगी, कपड़ा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के प्रति होगा।

ख. अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत निर्यात

ग. आयातित सूत पर आधारित निर्यात

घ. वार्षिक निर्यात दायित्व को पूरा करने की सीमा तक ई पी सी जी यूनिटों द्वारा निर्यात। तथापि, उनके दायित्व से अधिक किया गया निर्यात, यदि कोई हो, तो उसे सीमा से घटा लिया जाएगा।

ङ. द्विपक्षीय कोटे के प्रति सभी निर्यात।

च. 41 और उससे अधिक गुच्छियों के यार्न के सभी निर्यात; और

छ. संसाधित यार्न का निर्यात।

3. यह सार्वजनिक सूचना 1 जनवरी, 2001 से प्रभावी होगी।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन.एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd January, 2001

No. 51 (RE-2000)/1997—2002

F. No. 01/91/180/957/AM 01/PC.-III.—Attention is invited to the entry at Code No. 5205 in Table B of Schedule 2 and SL. No. 6 of Appendix-I to Schedule 2 in the book titled "ITC(HS) Classifications of Export and Import Items, 1997—2002" specifying the terms and conditions for export of items indicated therein.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export & Import Policy, 1997-2002, (incorporating amendments made upto 31st March,2000) the Director General of Foreign Trade hereby specifies the quantitative ceiling for export of Cotton Yarn for the calender year 2001 as under :-

(i) Ceiling of 500 million Kgs. for Cotton yarn of 1 to 40s counts.

(ii) Ceiling of 20 million Kgs. for hank yarn of 1 to 60s counts.

(iii) However, the following categories shall be exempted from the ceiling limits:

(a) Exports by 100% EOUs . However, exports by such units, having count restrictions, will be subject to the ceiling prescribed by the Ministry of Textiles.

(b) Exports under advance licence scheme.

(c) Exports based on cotton imported .

(d) Exports of EPCG units to the extent of meeting annualized export obligation. However, more than their obligation, if exported, will be debited to the ceiling.

(e) All exports against bilateral quotas.

(f) All exports of 41s and above counts; and

(g) Exports of processed yarn.

3. This will be effective from 1st January, 2001.

4. This issues in Public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade
and Ex-Officio Additional Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. - 2000